31/3/13

72

To be issued in Hindi

1/12

No. A. 43020/01/2013-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs
******

26 APR 2013

New Delhi, Dated the 23rd April 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Transparency and Good Governance- Right to Information-publication of powers of officers.

******

The undersigned is directed to forward herewith a letter dated 31.03.2013 of Shri Mani Ram Sharma (received in this Ministry 05.04.2013 on the above mentioned subject.

Since the subject matter (point no.1) of the letter does not pertain to any particular Division of this Ministry, the letter is forward to all CPIOs for taking appropriate action.

Encl: As Above

(Surojit Ghosh)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All CPIOs in the Ministry of Home Affairs /Department of Justice/ Department of Official Language (as per list attached)

Copy for information to:-

Shri Mani Ram Sharma
Advocate,
Nakul Nivas, Behind Roadways Depot,
SardarShahr-331403
District-Churu(Rajasthan)

73

10256/2013/DSE

2468/RTI/2013
17/4/13

सं० 7/8/2013 - आई टी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
आई टी सेल

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 12 .04.2013

सेवा में,

श्री मनीराम शर्मा
एडवोकेट
नकुल निवास, रोडवेज डिपो के पीछे
सरदारशहर – ३३१४०३
जिला चूरू, राजस्थान

विषय : पारदर्शी एवंस्वच्छ शासन - सूचना का अधिकार - अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन।

महाशय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने 31.03.2013 के पत्र का संदर्भ लें। इस पत्र का पहला बिन्दु गृह मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग से संबधित है। अत: इसे प्रशासन-I अनुभाग को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि इस संबंध में कृपया उनसे संपर्क करें।

जहां तक बिन्दु 2 तथा 3 का प्रश्न है, यह आपके व्यक्तिगत विचार हैं तथा इन पर हमसे कोई जवाब अपेक्षित नहीं है।

भवदीय

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता

(सुरेन्द्र कुमार गुप्ता)
सलाहकार (समन्वय)
फोन नं० : 011 – 2309 2705

प्रति :

श्री श्रीनिवास प्रधान, उप सचिव (स्थापना), गृह मंत्रालय – श्री मनीराम शर्मा के उपरोक्त पत्र की एक प्रति संलग्न है। आपसे प्रार्थना है कि इसके पहले बिन्दु पर उचित कार्रवाई करें। साथ ही मंत्रालय के सभी स्तर के अधिकारियों की प्रशासनिक / निर्णायक शक्तियों/क्षेत्राधिकार की एक प्रति आई. टी. सेल को उपलब्ध करायें ताकि इसे मंत्रालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।

US(RTI)

15/4/13
S.O.(RTI)

(74)

क्रमांक (1) – पावती 3 (3)

श्री सुशील कुमार शिंदे ,
माननीय गृह मंत्री ,
नोर्थ ब्लोक,
नई दिल्ली – 110001

REGISTERED

R
86540
5/4/13

मान्यवर,

पारदर्शी एवं स्वच्छ शासन – सूचना का अधिकार- अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन

कृपया उक्त प्रसंग में मेरे पूर्व निवेदन दिनांक 17.03.2013 का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम आपसे निवेदन किया गया था कि पारदर्शी एवम भ्रष्टाचारमुक्त शासन के लिए शक्तियों के प्रयोग करने में पारदर्शिता और समय मानक निर्धारित होना आवश्यक है क्योंकि विलम्ब भ्रष्टाचार की जननी है| इस दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (b) (ii) में सभी स्तर के अधिकारियों की शक्तियां स्वप्रेरणा से प्रकाशित करना बाध्यता है किन्तु गृह मंत्रालय , नोर्थ ब्लोक, नई दिल्ली – 110001 सचिवालय ने इसकी अभी तक अनुपालना नहीं की है और सचिवगण अपनी शक्तियों के अतिक्रमण में निर्णय ले रहे हैं व नीतिगत मामलों में जन परिवेदनाओं को, बिना किसी प्रभारी मंत्री की अनुमति के, सचिव स्तर पर ही निस्संकोच निरस्त कर दिया जाता है| अधिकारियों की शक्तियों के सार्वजानिक दृष्टि गोचरता में रखने से ही जनता जान सकती है किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई कार्य उसकी शक्ति में है अथवा नहीं |

1. सचिवालय ने जो भी आंशिक सूचना अधिनियम की धारा 4 के अनुसरण में प्रकाशित कर रखी है वह बिखरी हुई है व एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होने से नागरिकों के लिए दुविधाजनक है| सचिवालय ने धारा 4(1)(b)(i) से लेकर 4(1)(b)(xvii) तक की भावनात्मक अनुपालना नहीं की है और धारा 4 (1) (b) (ii) की तो बिलकुल भी अनुपालना नहीं की है| अतः अब धारा 4 (1) (b) (ii) की अनुपालना की जाये और धारा 4 से सम्बंधित समस्त सूचना एक ही स्थान पर समेकित कर बिन्दुवार/धारा –उपधारावार सहज दृश्य रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाये ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रावधानों की अनुपालना कर दी गयी है व कोई प्रावधान अनुपालना से छूटा नहीं है|

JS (Coord)
8/4/13
P.S. to Home Minister
Govt. of India

2. आप सचिवालय के मुखिया हैं और समस्त निर्णायक शक्तियां आप में ही निहित हैं| आपको परामर्श देने और निर्णय में सहायता देने के लिए विभिन्न स्तर के सचिव और कमेटियां हैं किन्तु उन्हें किसी भी नियम, नीति सम्बद्ध विषय या नागरिकों के प्रतिवेदन/याचिका को स्वीकार करने का अधिकार

Pl. examine & pu.
SO (RT)
8.4.13

नहीं है। स्वीकृति के अधिकार में ही अस्वीकृति का अधिकार सम्मिलित है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी स्तर के सचिव को किसी जन प्रतिवेदन/याचिका को अन्तिमतः अस्वीकार करने का कोई अधिकार सचिवालय के किसी कानून, नियम, अधिसूचना, आदेश आदि में नहीं दिया गया है और न ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ऐसा कोई अधिकार किसी सचिव को दिया जा सकता है।

3. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का यह अधिकार जनता को संविधान के अनुच्छेद 350 से प्राप्त है अतः इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए किसी भी आधार पर कोई भी सचिव प्राधिकृत नहीं है। यदि कोई प्रकरण वास्तव में स्वीकृति योग्य नहीं पाया जाए तो उसका अंतिम निर्णय भी प्रभारी मंत्री ही कर सकता है।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि लोकतंत्र की पवित्रता और श्रेष्ठता की सुरक्षा के लिए समस्त अधिकारियों को तदनुसार निर्दिष्ट किया जाए और उनकी प्रशासनिक/निर्णायक शक्तियों/क्षेत्राधिकार को सचिवालय की वेवसाइट पर सहज दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाए। अति कृपा होगी।

सादर,

भवदीय

मनीराम शर्मा

एडवोकेट

नकुल निवास, रोडवेज डिपो के पीछे

सरदारशहर-331403

जिला-चुरू(राज.)

दिनांक: 31.03.2013

85

तत्काल
सूचना के अधिकार

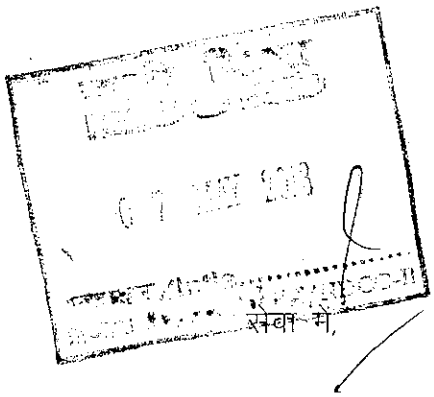

सं0 17014/02/2013–बी0एम0–VI

गृह मंत्रालय
सीमा प्रबंधन विभाग
(एन0डी0सी0सी0–II बिल्डिंग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई'2013

सेवा में,

07 MAY 2013

श्री मनीराम शर्मा,
एडवोकेट,
नकुल निवास,रोडवेज डिपो के पीछे,
सरदारशहर – 331403
जिला चूरू, राजस्थान

विषय – सूचना के अधिकार अधिनियम– 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका आवेदन दि.31.03.2013 जो इस विभाग को दिनांक 01.05.2013 को प्राप्त हुआ के माध्यम से पारदर्शी एवं स्वच्छ शासन– सूचना के अधिकार– अधिकारियों की शक्तियों के प्रकाशन के बारे में सूचना मांगी है।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय के अधोहस्ताक्षरी केन्द्रीय सूचना अधिकारी के अधीन नहीं आती है, इसलिए यह सूचना शून्य समझी जाए।

3. यदि आप उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते है–

श्री दीपक कुमार ,
सं0 सचिव व अपीलिय अधिकारी,
सीमा प्रबंधन विभाग,
गृह मंत्रालय,
एन0डी0सी0सी0–II बिल्डिंग,
जय सिंह मार्ग,
नई दिल्ली

भवदीय

(अमित निर्मल)
उप सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(बी0एम0–III)